Amendment (3)

उत्तर प्रदेश सरकार
प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2
संख्या–1900/43–2–2006–15/2(2)/03 टी.सी.14
लखनऊ: दिनांक: 27 नवम्बर, 2006

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005(अधिनियम संख्या–22,सन्,2005) की धारा–27 द्वारा प्रदत्त ाक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार(फीस और लागत विनियम) नियमावली,2006 में संशोधन करने की दृ ट से निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार(फीस और लागत विनियम)(संशोधन) नियमावली,2006

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियम) (संशोधन) नियमावली,2006 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–4,5 तथा 6 का संशोधन 2– उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार(फीस और लागत विनियम)नियमावली,2006 के नियम 4,5 तथा 6 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियमके स्थान पर स्तम्भ –2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
4 उक्त अधिनियम की धारा–6 की उपधारा(1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ संबधित लोक प्राधिकारी को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा एस रूपये का आवेदन ुल्क संलग्न किया जाएगा।	4. उक्त अधिनियम की धारा–6 की उपधारा(1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ संबधित लोक प्राधिकारी को संदेय समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा एस रूपये का आवेदन ुल्क संलग्न किया जाएगा।

5. उक्त अधिनियम की धारा–7 की उपधारा(1) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए प्राधिकारी को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक, द्वारा निम्नलिखित दरों पर ुल्क प्रभारित किया जाएगाः– (क) सृजित या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक पृ ठ (ए–4 या ए–3 आकार के कागजों में) के लिए दो रूपयें, (ख)बृहत्तर आकार के कागजों में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य, (ग) नमूनों या प्रतिदर्शों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य और जहाँ सूचना निर्धारित मूल्य के प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो वहाँ इस प्रकार नियत किया गया मूल्य, (ध) अभिलखों या प्रतिदशों के लिए प्रथम धण्टे के लिए दस रूपये का ुल्क और तत्पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट के लिए (या उसका आंशिक भाग) पाँच रूपये का ुल्क।	5. उक्त अधिनियम की धारा–7 की उपधारा(1) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए प्राधिकारी को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक, द्वारा निम्नलिखित दरों पर ुल्क प्रभारित किया जाएगाः– (क) सृजित या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक पृ ठ (ए–4 या ए–3 आकार के कागजों में) के लिए दो रूपयें, (ख)बृहत्तर आकार के कागजों में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य, (ग) नमूनों या प्रतिदशों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य और जहाँ सूचना निर्धारित मूल्य के प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो वहाँ इस प्रकार नियत किया गया मूल्य, (ध) अभिलखों या प्रतिदशों के लिए प्रथम धण्टे के लिए दस रूपये का ुल्क और तत्पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट के लिए (या उसका आंशिक भाग) पाँच रूपये का ुल्क।
6. धारा–7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए लोक प्राधिकारी को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा ुल्क निम्नलिखित दरों पर प्रभारित किया जाएगाः– (क) डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क में प्रदान की गई सूचना के लिए प्रति डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क पचास रूपये, और	6. धारा–7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए लोक प्राधिकारी को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा ुल्क निम्नलिखित दरों पर प्रभारित किया जाएगाः– (क) डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क में प्रदान की गई सूचना के लिए प्रति डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क पचास रूपये, और
(ख) मुद्रित रूप में प्रदान की सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन हेतु नियत मूल्य पर या प्रकाशन से उद्धरणों के लिए दो रूपये प्रतिलिपि का प्रति पृ ठ।	(ख) मुद्रित रूप में प्रदान की सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन हेतु नियत मूल्य पर या प्रकाशन से उद्धरणों के लिए दो रूपये प्रतिलिपि का प्रति पृ ठ।

आज्ञा से,

(बी0 एम0 मीना)
सचिव

पृ ठांकन संख्या–1900(1)/43–2–2006–15/2(2)/03 टी.सी.14 तद्दिनांक

उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेि ातः–

1– संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्लीः
2– राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– अध्यक्ष, राजस्व परि ाद, उ0प्र0, लखनऊ।
4– कृि ा उत्पादन आयुक्त आयुक्त, उ0प्र0 ाासन,लखनऊ।
5– आधौगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 ाासन,लखनऊ।
6– समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 ाासन,लखनऊ।
7– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0,लखनऊ।
8– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमुत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9– समस्त प्रमुख सचिव/सचिवच, उत्तर प्रदेश ाासन/प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्यसचिव।
10– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परि ाद, उत्तर प्रदेश।
11– समस्त मण्डायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12– समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
13– समस्त विभागाग्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
14– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
15– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को सूचना की अंगेजी रूपान्तरण सहित इस अनुरोध के साथ प्रेंि ात कि वे कृपया इस अधिसूचना को दिनांक–27,नवम्बर,2006 के असाधारण गजट विधायी परिशि ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित करने का क ट करें और अधिसूचना की 2000 प्रतियाँ प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश सचिवालय को ाीध्र उपलब्ध कराने का क ट करें।
16– संसदीय कार्य अनुभाग–1
17– उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
18– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जगदीश लाल श्रीवास्तव)